न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	09.05.2022	15.06.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज. निवासी छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज.

......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

दिनांक 15.06.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2021 को समय 06:01 पी.एम. पर मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री घनश्याम विजय मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोपाल लाल विजय ने स्वयं को मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में मावा, मिठाई, नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **मावा (Khoya)** दुकान में फ्रीजर में प्लास्टिक की एक पॉलिथीन में लगभग 6 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री गोपाल लाल विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री गोपाल लाल विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मावा (Khoya)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मावा (Khoya)** 1 किलोग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 250–250 ग्राम मावा भरकर, प्रत्येक शीशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20–20 बूंदें डालकर अच्छी तरह मिलाकर, शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बन्द कर, नियमानुसार चार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2979 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2979 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./21/3325 दिनांक 15.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1757/एक्ट/2021/1627 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार विक्रेता श्री गोपाल लाल विजय से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **मावा (Khoya)** एफ. एस.एस.ए की धारा **3(1)(zz)(iv)** व **3(1)(zz)(xi)** का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक के व्यवहारी ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, अपील पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जाचं रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ. एस.एस.ए./73 एफ/2022 दिनांक 26.03.2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। प्रकरण में अप्रार्थी ने **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मावा (Khoya)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा (Khoya)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच मे **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा (Khoya)** नमूना जांच **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री घनश्याम विजय पर शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबधित मद में निर्णय दिनांक 15.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0